International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 03(II), July - September, 2023, pp. 156-160

रीवा जिले के गरीबी उन्मूलन योजना के हितग्राहियों का सामाजिक–आर्थिक अध्ययन

नम्रता दुबे*
डॉ. प्रतिमा बनर्जी**

सार

जिले के गरीबी उन्मूलन के लाभान्वित हितग्राहियों हेतु स्वतंत्रता तथा परिवर्तन के प्रमुख उपकरण के रूप में कार्य किया है। शिक्षा हितग्राहियों के आत्म–सम्मान को काफी प्रोत्साहित किया तथा उनकी सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहायता प्रदान किया। हितग्राहियों के पहचान हेतु उनके संघर्षों का सशक्तीकरण किया और इनकी राजनीतिक चेतना को भी प्रोत्साहित किया। हालांकि अध्ययन क्षेत्र के हितग्रहियों तथा शेष आबादी के मध्य संख्या, गुणवत्ता, शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया एवं अधिगम परिणाम के आधार का शैक्षिक अन्तर समाप्त होना काफी मुश्किल लगता है। अध्ययन क्षेत्र में असमानताएँ इस आंकड़े को अभिव्यक्त करती है कि अधिनायकत्व वाले समाज में हितग्राहियों का समान एकीकरण बहुत कम हुआ है। इस तरह से वृद्धि होती ध्रुवीकरण वाले समाज में हितग्राहियों का समावेशन शोषण, विस्थापन, भेदभाव तथा दमन की क्रियाओं एवं संबंधों से शासित हुआ है। अध्ययन क्षेत्र के सामाजिक एवं आर्थिक शक्तियों ने हितग्राहियों ने एक व्यापक भू–भाग में अत्यधिक तबाही किया, जिसे विकास प्रक्रिया से हासिए पर चले जाने का अनुभव हुआ। बेरोजगारी, निर्धनता एवं खराब स्वास्थ्य इनके मध्य असमानुपात में मिलती है। हितग्राहियों ने व्यापक स्तर पर अपनी भूमि से हस्तांतरण एवं प्राकृतिक संसाधनों से बेदखली को सहा है तथा वे गैर–जनजाति समुदायों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहन करने पर विवश हो गये। हितग्राहियों की एक व्यापक संख्या सामाजिक अस्तित्व तथा निंदनीय पेशों से मुक्ति पाने में असमर्थ रही है।

शब्दकोशः *गरीबी, बेरोजगारी, हितग्राही, सामाजिक, आर्थिक, आय एवं मजदूरी।*

प्रस्तावना

अध्ययन क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियाँ और कुछ नहीं तो शैक्षिक जरूरतों को पूर्ण करने में सफल रही, जिले में कई धर्मों एवं जातियाँ विद्यमान है और यहाँ विद्यमान विसंगतियों की वजह से अध्ययन क्षेत्र के हितग्राहियों, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में पिछड़ गयी। इन जातियों की नियोग्यताओं के वजह से इन्हें अछूत या अस्पृश्य कहा गया। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार अध्ययन क्षेत्र में हितग्राहियों की

* शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय, रीवा, मध्यप्रदेश।
** शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना, मध्यप्रदेश।

सम्पूर्ण आबादी का करीब एक चौथाई थी। आर्थिक व धार्मिक नियोग्यताएँ की वजह से ये हितग्राही अध्ययन क्षेत्र (रीवा जिले) की प्रमुख धारा से अलग हो गयी। सुख–सुविधाओं से वंचित रहने के कारण ये लोग सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र पिछड़ गयी। इन्हें समाज से वहिष्कृत कर दूर एक कोने में निवास करने हेतु विवश होना पड़ा।

अधिकांशतः हितग्राहियों के शैक्षिक विकास में गरीबी या परिवार की दुर्बल आर्थिक स्थिति को मुख्य बाधक तत्व के रूप में स्वीकार की गयी है। सर्वाधिक हितग्राही निर्धन हैं कि वे अपनी दैनिक जीविकोपार्जन की जरूरत के सामानों की आपूर्ति करने में ही सम्पूर्ण जीवन संघर्ष करते रहते हैं। शिक्षा जीवन की अनिवार्य जरूरत है और हितग्राही समुदाय इसके विषय में सोच नहीं पाते हैं। जिले में दुर्भाग्य वश आज भी हितग्राहियों की यह निर्धनता बनी हुई है। वास्तविक रूप में सर्वाधिक हितग्राही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। इनके पास न तो कृषि कार्य हेतु स्वयं की भूमि है तथा न ही उनके पास कोई अन्य उत्पाद स्रोत/साधन है। इन परिवारों के पास पर्याप्त रोजगार के साधन भी नहीं है, ये जाति कम से कम दैनिक पारिश्रमिक पर कार्य करने हेतु विवश होते हैं। सर्वाधिक हितग्राही परिवार विशिष्ट कर ग्रामीण भागों के कृषि कार्य, घरेलू कार्यों या अन्य कार्यों/मजदूरी में संलग्न लगे रहते हैं।

अध्ययन क्षेत्र के हितग्राहियों की सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि की तो ये वर्तमान समाज में भी सामाजिक तालमेल बैठाने में स्वयं को सहज नहीं पाते हैं। इसके कारण ये सामाजिक सांस्कृतिक अलगाव, भूमि अलगाव और अस्पृश्यता की भावना महसूस रकती है। इसी के साथ हितग्राहियों में मनोरंजन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधित सुविधाओं से परे है। आज भी जनजातीय समुदायों का एक व्यापक वर्ग निरक्षर है, जिसके कारण हितग्राही वर्ग सामान्य बोलचाल की भाषा को अच्छी तरह से समझ नहीं पाते। अतः शासन स्तर पर उपलब्ध करायी गयी योजनाओं से अनभिज्ञ है जो इनके सामाजिक रूप से पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। हितग्राहियों के आर्थिक रूप से पिछड़ेपन की बात किया जाए तो इनमें मुख्य वजह निर्धनता एवं ऋणग्रस्तता है। आधुनिक युग में भी जनजातियों के समुदाय का एक तबका ऐसा है जो दूसरे के घरों में कार्य निर्वहन कर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हितग्राही वर्ग आर्थिक तंगी की वजह से अपने बालक एवं बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करवाने में असमर्थ हैं और धन हेतु उन्हें बड़े–बड़े दलालों/व्यवसायियों को बेच देते हैं। वास्तविक रूप में बालक/बालिकाएं या तो समाज के घृणित से घृणित कार्यों को स्वीकारने के लिए मजबूर हो जाते हैं अथवा उन्हें मानव तस्करी का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जाति/जनजाति के बालिकाओं से वेश्यावृत्ति जैसी घिनौनी दलदल में धकेल दिया जाता है। अतः हितग्राहियों के पिछड़ेपन का सर्वाधिक बड़ा कारण उनका आर्थिक रूप से पिछड़ापन ही है जो उन्हें सम्पूर्ण सुविधाओं से दूर किया है।

शोध का उद्देश्य

किसी भी शोध–पत्र को प्रस्तुत करने के लिए उससे संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण करना अत्यन्त आवश्यक होता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए शोध आलेख से संबंधित कुछ प्रमुख उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार है–

- गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जिले के हितग्राहियों का समाजार्थिक विकास का आकलन करना।
- रीवा जिले के गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों के आय के स्रोतों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित शोध आलेख को वास्तविक रूप में प्रस्तुत करने का अकादमिक कार्य शोधकर्ता द्वारा किया गया है, जो प्राथमिक एवं द्वितीयक समंकों पर आधारित है।

शोध की परिकल्पनाएँ

प्रत्येक शोध आलेख को प्रस्तुत करने से पूर्व शोधकर्ता के मस्तिष्क में शोध शीर्षक से संबंधित जो भी धारणा या विचार पनपते हैं उन्हें परिकल्पना की संज्ञा दी जाती है। इसी दृष्टिकोण के आधार पर चयनित शोध आलेख से संबंधित कुछ प्रारम्भिक विचार शोधकर्ता के मस्तिष्क में बने हैं, जिन्हें परिकल्पनाओं के रूप में निम्नानुसार व्यक्त किया गया है जो क्रमशः इस प्रकार हैं–

- रीवा जिले की गरीबी उन्मूलन परियोजनाओं की कार्यप्रणाली एवं लाभान्वित हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में संबंध है।
- रीवा जिले के गरीबी उन्मूलन योजना की सुविधाओं और लाभान्वित लाभार्थियों के आय के स्रोतों में घनिष्ठ संबंध है।

उपरोक्त परिकल्पनाओं को केन्द्र में रखकर शोध आलेख को प्रस्तुत किया गया है, जो मौलिक समंकों पर विशेष रूप में केन्द्रित है।

शोध प्रविधि

शोधकर्ता जब वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा अध्ययन करके अर्थात् निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण एवं अन्य दूसरे शोध विधियों का प्रयोग करके शोध आलेख को प्रस्तुत करता है और इसके लिए जो तरीका अपनाता है वह शोध प्रविधि कही जाती है। प्रस्तुत शोध–पत्र को विश्लेषित करने के लिए शोधकर्ता ने प्राथमिक सर्वेक्षण के माध्यम से समंकों का संग्रहण अनुसूची का उपयोग करके किया है। इस शोध आलेख को प्रस्तुत करने के लिए वर्णनात्मक, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक आदि प्रविधियों का प्रयोग किया गया है।

विश्लेषण

रीवा जिले के गरीबी उन्मूलन योजना के लाभान्वित हितग्राहियों के वास्तविक सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का आकलन करने के लिए प्राथमिक तौर पर अध्ययन क्षेत्र के 09 विकासखण्डों में से दैव निदर्शन प्रविधि के लॉटरी विधि के माध्यम से 06 विकासखण्डों– रीवा, रायपुर कर्चुलियान, गंगेव, नईगढ़ी, हनुमना एवं त्योंथर का चयन किया गया है। इन चयनित विकासखण्डों में से प्रत्येक विकासखण्ड में गरीबी उन्मूलन योजना के 50–50 लाभार्थियों का चयन कर कुल 300 हितग्राहियों से प्राथमिक स्तर पर सर्वेक्षण का कार्य करते समय अनुसूची का उपयोग कर मौलिक समंकों का संग्रहण किया गया है। इस प्रकार जिले से चयनित गरीबी उन्मूलन योजना के हितग्राहियों के सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि का आकलन करने के लिए इन्हें निम्नांकित वर्गों में वर्गीकृत कर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का कार्य किया गया है जो क्रमशः निम्नानुसार है–

- **गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जिले के हितग्राहियों का समाजार्थिक विकास**

जिले के गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लाभार्थियों का इस योजना की गतिविधियों से उनके समाजार्थिक विकास होने व न होने से संबंधित मौलिक तथ्यों को चयनित हितग्राहियों से सर्वेक्षण का कार्य करते समय प्राथमिक स्तर पर अनुसूची के माध्यम से मौलिक आंकड़ों को संकलित किया गया है। संकलित किये गये इन प्राथमिक समंकों से हितग्राहियों की समाजार्थिक स्थिति का आकलन करने के लिए इन्हें वर्गीकरण के साथ तालिका क्रमांक–1 में प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक विवेचन किया गया है, जो इस प्रकार है–

तालिका 1: गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जिले के हितग्राहियों का समाजार्थिक विकास होने का विवरण

क्र.सं.	विवरण	हितग्राहियों से प्राप्त अभिमतों का संग्रहण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	समाजार्थिक विकास हो रहा है	238	79.33
2.	समाजार्थिक विकास हो नहीं हो रहा है	24	8.00
3.	कुछ कह नहीं सकते	38	12.67
	योग	300	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

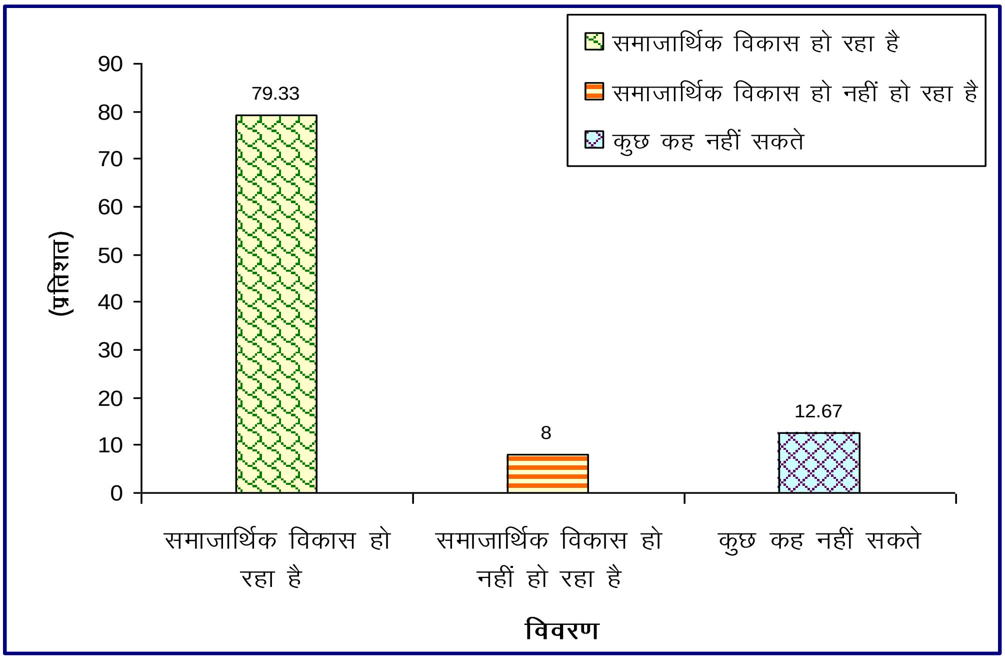

आरेख 1: गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जिले के हितग्राहियों का समाजार्थिक विकास होने का विवरण।

उपरोक्त तालिका 1 एवं आरेख को देखने से ज्ञात होता है कि यह गरीबी उन्मूलन योजनाओं से जिले के हितग्राहियों का समाजार्थिक विकास होने के विवरण से संबंधित है। शोधकर्ता द्वारा जिले से चयन किये गये कुल 300 हितग्राहियों मे ं238 लाभार्थियों ने अपना अभिमत दिया कि समाजार्थिक विकास हो रहा है, जिनका प्रतिशत 79.33 है। इसी प्रकार 24 लाभार्थियों ने उत्तर दिया कि समाजार्थिक विकास नहीं हो रहा है, जिनका प्रतिशत 8.00 है। इसी प्रकार 38 हितग्राहियों ने बतलाया कि कुछ कह नहीं सकते जिनका प्रतिशत 12.67 है।

- **अध्ययन क्षेत्र के गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों के आय के स्रोत**

जिले के गरीबी उन्मूलन योजना के पात्र व्यक्तियों/लाभार्थियों से उनके आय के स्रोतों की जानकारी का आकलन करने के लिए प्राथमिक स्तर पर चयनित व्यक्ति/हितग्राहियों से सर्वेक्षण का कार्य किया गया और सर्वेक्षण का कार्य करते समय अनुसूची के माध्यम से मौलिक समंकों का संकलन किया गया। इन मौलिक समंकों से गरीबी उन्मूलन योजनाओं के लाभार्थियों के आय के स्रोतों का आकलन करने हेतु प्राथमिक समंकों को तालिका क्रमांक–2 में वर्गीकरण के साथ प्रस्तुत कर विश्लेषणात्मक मूल्यांकन का कार्य किया गया है, ताकि यह सुस्पष्ट किया जा सके कि इस योजना के लाभार्थियों के प्रमुख रूप से आय के स्रोत क्या है। अतएव मौलिक समंकों का विवरण निम्नानुसार है–

तालिका 2: गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों के आय के स्रोतों का विवरण

क्र.सं.	विवरण	हितग्राहियों से प्राप्त अभिमतों का संग्रहण	
		संख्या	प्रतिशत
1.	स्वरोजगार द्वारा	53	17.67
2.	कृषि श्रमिक के कार्य	105	35.00
3.	मजदूरी कार्य द्वारा	128	42.67
4.	अन्य	14	4.66
	योग	300	100.00

स्रोत– प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित।

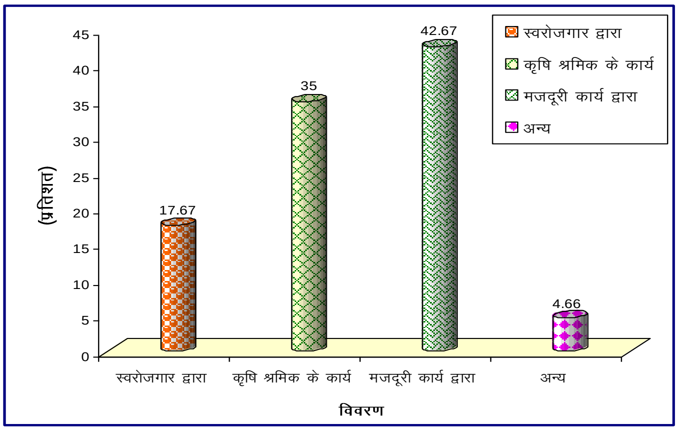

आरेख 2 : गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों के आय के स्रोतों का विवरण

उक्त तालिका 2 एवं आरेख को देखने से प्रतीत होता है कि यह गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों के आय के स्रोतों के विवरण से संबंधित है। शोधकर्ता चयन किये गये कुल 300 हितग्राहियों में 53 हितग्राहियों ने बतलाया कि स्वरोजगार आय का स्रोत है, जिनका प्रतिशत 17.67 है। इसी प्रकार 105 हितग्राहियों ने स्वीकार किया कि आय का स्रोत कृषि कार्य है, जिनका प्रतिशत 35.00 है। इसी प्रकार 128 हितग्राहियों ने उत्तर दिया कि मजदूरी द्वारा आय प्राप्त होता है जिनका प्रतिशत 42.67 है और 14 हितग्राहियों ने बतलाया कि आय अन्य मध्यमों से प्राप्त होता है जिनका प्रतिशत 4.66 है।

निष्कर्ष

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि गरीबी उनमूलन योजनाओं से जिले के लाभार्थियों का सामाजिक विकास हो रहा है। शासन द्वारा संचालित इन योजनाओं का लाभ लेकर हितग्राही वर्ग अपना सामाजिक एवं आर्थिक विकास कर रहे हैं। समाज में आज हितग्राही वर्ग को हेय दृष्टि से नहीं देखा जाता है। सरकार ने इन वर्गों के छात्र–छात्राओं हेतु आरक्षण प्रदान कर शासकीय नौकरी में अवसर प्रदान कर रहे हैं। शासन द्वारा उपलब्ध करवाये गये सुविधाओं से इन वर्गों के सदस्यों का जीवन स्तर में काफी बदलाव परिलक्षित हो रहा है। रीवा जिले के गरीबी उन्मूलन योजना के लाभार्थियों के आय का स्रोत मजदूरी है। गरीबी उन्मूलन योजना के हितग्राहियों के आर्थिक स्रोत मजदूरी है। जिले के अनुसूचित जाति/जनजातियों के सदस्य अपनी आजीविका चलाने के लिए मजदूरी का कार्य करते हैं। जनजातीय वर्ग अशिक्षित होने के कारण किसी रोजगार को अपनाने से कतरोते हैं। हितग्राही वर्ग के सदस्यों के पास अपनी स्वयं की भूमि भी नहीं है, अतएव उनके आय का स्रोत मजदूरी ही है। जिससे उनके समाजार्थिक जीवन में बदलाव दृष्टिगोचर हो रहे हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सचदेव, डी.आर. – भारत में समाज कल्याण प्रशासन, किताब महल, इलाहाबाद, वर्ष 2003
2. पटेल, राजेश – ग्रामीण विकास की रूपरेखा, रावत प्रकाशन नइ दिल्ली, वर्ष 2014
3. कानवा, योगेश एवं कटारिया, सुरेन्द्र – भारत में निर्धनता, आर्थिक विकास एवं मीडिया, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, जयपुर, वर्ष 2006
4. शर्मा, ए.के. – मजदूर नीति तथा सामाजिक सुरक्षा, ओमेगा पब्लिकेशन, नई दिल्ली, वर्ष 2010
5. सिंह, डॉ. सुदामा – भारतीय अर्थव्यवस्था समस्याएं नीतियां, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, वर्ष 1994
6. शर्मा, विनय मोहन – शोध प्रविधि, नेशनल पब्लिसिंग, हाउस नई दिल्ली, वर्ष 2011